

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ दिनांक- 30/08/2022

कार्यालय ज्ञापः

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी कार्यालय ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैकिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 28/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अखिल नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-


संस्था का कोड एवं नाम : 4138-SHRI MUSAFIR PARMARTH COLLEGE OF PHARMACY

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1982, विनियमावली-2000, सेक्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गमित शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा पटि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरे लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अखिलित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिविधियों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।


- ✓ यदि संस्था का १०-आईसीटीआईएसीआईड में अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था को होगा और किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रौद्योगिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रेषित संस्था के विषय में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तथा इसपर बाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित कार्य संस्था को करना पड़ेगा।
- ✓ संस्था को माध्यमिक शिक्षा परिषद, उच्च प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रेषित सभी प्रयोग हेतु आवेदनित काउन्सिलिंग कार्य होने के पूर्व १०-आईसीटीआईएसीआईड में अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा उन्हें प्रयोग की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अर्थ पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्राप्त नहीं की जाएगी।
- ✓ उच्च प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रेषित हेतु समस्त-समय पर निर्गत नवीनतम आदेशों निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक त्रुटि भूमि, साफ, साज-सजावट, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुल्का, साक्षात्कार सुल्का आदि का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ ही/साथ ही/साथ ही के माध्यम में समस्त आवश्यक साधन सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो ले कि संस्था ने प्रस्तावित असाइन पाठ्यक्रम को पढ़ाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अधिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता अर्थात् सिधे जाने की कार्यवाही को करेगी।
- ✓ संस्था के अंतर्गत स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सजावट १०-आईसीटीआईएसीआईड परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता समिति का अनुपालन न किये जाने अथवा बाती का उत्तरदायित्व किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।


 (एफ०अर० खान)
 सचिव

पुस्तक- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक- 30/08/2022

पठित/सिधे
 प्रधानाचार्य/निदेशक SHRI MUSAFIR PARMARTH COLLEGE OF PHARMACY


 (एफ०अर० खान)
 सचिव

कार्यालय

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या:- प्राविपा/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय भाषा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक सत्र 2021-22 हेतु दिल्लीमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मंडों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4138-SHRI MUSAFIR PARMARTH COLLEGE OF PHARMACY, VILL AND POST- KALYANPUR, MAU - 275105

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्य किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश ध्यानी होने, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संपुष्क प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित शर्तों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनदेश्यों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
 - ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्कार यदि पी०सी०आई०, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दापर किया जाता है तथा दापर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
 - ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेगित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति वही प्रदान की जायेगी।
 - ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम अवरक्षम नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
 - ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
 - ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त जलावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी हूनी।
 - ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
 - ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
 - ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू०सं०- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SHRI MUSAFIR PARMARTH COLLEGE OF PHARMACY, VILL AND POST- KALYANPUR, MAU- 275105


(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
अन्तर प्रदेश, लखनऊ।**

संख्या- **प्राथमि/परिषद सम्बन्धित/2020/1871**

संलग्नक दिनांक: **15-8-2020**

-कार्यालय द्वारा-

अधिकांश जिलों की प्राथमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, कनिशी कार्यालय और इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा संचालित वर्ष 2020-21 हेतु विभिन्न प्राथमिक जिलों की प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी को अनुसूचित प्रदान किए जाने को प्रत्यक्ष प्राथमिक शिक्षा परिषद, अन्तर प्रदेश के सम्बन्धित/सम्बन्धित विभाग प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अन्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, अन्तर प्रदेश की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सचिव द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु अर्जित नए सम्बन्धी को सम्बन्धित/पूर्व से संचालित सम्बन्धी को सम्बन्धित विभाग/संबन्धित/प्रदेश प्रदान किये गये जिनमें सचिव द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु सम्बन्धित प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

उक्त में अनुसूचित में सम्बन्धित सचिवों की बैठक में सं-3 में निर्धारित इन कार्यों का अनुसूचित संचालित करने वाली पूर्व में सम्बन्धित विभागों का प्रकरण सं-1 था। सम्बन्धित सचिवों द्वारा सूचना विभाग-विशेष को सम्बन्धित निर्णय किया गया।

विशेष तौर में संचालित निर्णय इन कार्यों का अनुसूचित संचालित करने वाली सम्बन्धित को प्राथमिक शिक्षा परिषद, अन्तर प्रदेश के पूर्व में सम्बन्धित है, एवं वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित/द्वारा कार्य सम्बन्धित अनुसूचित विभाग प्रदान किया गया है। इन सम्बन्धित में निर्धारित/द्वारा प्रदान किये गये अनुसूचित विभाग को अनुसूचित करने तथा को सम्बन्धित अधिकार/प्रदेश प्रदान के साथ वर्ष 2020-21 हेतु परिषद के सम्बन्धित विभाग प्रदान किये जाने पर निर्णय द्वारा निर्णय-विशेष किया गया एवं सम्बन्धित को निर्धारित/द्वारा प्रदान अनुसूचित विभाग में अनुसूचित में वर्ष 2020-21 हेतु परिषद के सम्बन्धित विभाग किये जाने का निर्णय किया गया।

दिनांक 14-8-2020 को अनुसूचित सम्बन्धित सचिवों की बैठक में किये गये निर्णयों के निर्णय को अनुसूचित में निर्णय को प्राथमिक शिक्षा परिषद, अन्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु निर्णयित गयीं को अधिकांश जिलों को प्रदान किये गये जिनमें सचिव द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु निर्णयित गयीं को अधिकांश जिलों को प्रदान किये गये।

क्र. संख्या क्र. संख्या	कार्य का नाम	संबन्धित का नाम	निर्धारित/द्वारा वर्ष 2020-21 में अनुसूचित प्रदान करना	निर्धारित/द्वारा वर्ष 2020-21 में अनुसूचित प्रदान करना
1	अन्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, कनिशी कार्यालय और इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा संचालित वर्ष 2020-21 हेतु निर्णयित/द्वारा प्रदान किये जाने का निर्णय	सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद, अन्तर प्रदेश	हां	हां

संलग्नक सं. 1

- ✓ सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, कनिशी कार्यालय और इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा संचालित वर्ष 2020-21 हेतु निर्णयित/द्वारा प्रदान किये जाने का निर्णय
- ✓ सचिव, अन्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, अन्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु निर्णयित/द्वारा प्रदान किये जाने का निर्णय

[Handwritten Signature]

